कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45005/स्थानान्तरण–पदस्थापन/2022 दिनांक 20.12.2022 द्वारा श्रीमती किरण सोनी, प्रधानाचार्य राउमावि अनंतपुरा, जैतपुरा जिला जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि नासिरदा जिला टोंक किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती किरण सोनी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 631/2023 किरण सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2023 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानांतरित स्थान के लगभग 245 कि.मी. दूर होने, सास–ससुर की वृद्धावस्था एवं स्वयं के स्वास्थ्य कारणों से अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि गोविंदपुरा, जालसू/राउमावि तिगरिया, गोविन्दगढ/राउमावि हरनाथपुरा/राउमावि 22 गोदाम, जयपुर/राउमावि न्यू हटवाडा, संतोषनगर जयपुर अथवा राउमावि भाम्भोरी जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर समायोजित किए जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(30)शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 14.07.2022 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों जो कि पूर्व के सभी दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए है, के अनुसार विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से पीडित कार्मिकों को ही स्थानांतरण में शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश प्राप्त है। उक्त दिशा निर्देशों में माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की बीमारी के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी को 245 कि.मी. दूर स्थानांतरित किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू. एल.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि ''So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he\she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rules.'' अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी है और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया हैं। अतः अपीलार्थी श्रीमती किरण सोनी का अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/किरण सोनी/631/2023/02 दिनांकः 17. APR. 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/टोंक।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री किरण सोनी, प्रधानाचार्य को सूचनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Rajasthan Education Department